

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

150-2025/Ext.]

CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 26, 2025 (BHADRA 4, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th August, 2025

No. 25-HLA of 2025/60/16563.— The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Second Amendment Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 25- HLA of 2025

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (FACILITIES TO MEMBERS) SECOND AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Second Amendment Act, 2025.

Short title.

- **2.** For section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979, the following section shall be substituted, namely:-
 - "3. Facilities.- (1) Subject to such conditions and limitations, as may be prescribed, an amount not exceeding one crore rupees may be paid to each member as repayable advance,-
 - a house building advance for the purchase of a built up house or flat or for building a house or flat to be constructed by the Co-operative Group Housing Society of which he is a member; or
 - (ii) for the purchase of a motor car; or
 - (iii) for clauses (i) and (ii) both:

Amendment of section 3 of Haryana Act 9 of 1979.

Provided that in case a member has already drawn Motor Car advance less than the amount of one crore rupees, he shall be eligible to draw house building advance for the rest of the amount:

Provided further that a member shall be eligible to draw house building advance for the second time only after repayment of principal amount alongwith interest on such house building advance and also after deducting the amount of motor car advance, if any, already drawn by him out of one crore rupees:

Provided further that a member shall be eligible to draw house building advance for the third time, after repayment of principal amount alongwith interest on such house building advance and also after deducting motor car advance, if any, already drawn by him, only to the extent of fifty percent of the rest of amount out of one crore rupees:

Provided further that in case a member has already drawn house building advance less than the amount of one crore rupees, he shall be eligible to draw motor car advance for the rest of the amount:

Provided further that a member shall be eligible to draw motor car advance for second time only after repayment of principal amount alongwith interest on such motor car advance already drawn and also after deducting the amount of house building advance, if any, already drawn by him out of one crore rupees:

Provided further that a member shall be eligible to draw motor car advance two times in a tenure of the Haryana Vidhan Sabha, which may be for a period of five years or less.

(2) A member shall also be entitled to draw upto a maximum of ten lakh rupees for effecting major repairs, additions or alterations to his house:

Provided that the amount of ten lakh rupees shall be in addition to one crore rupees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979, every member of the Haryana Legislative Assembly is entitled a repayable advance, not exceeding one crore rupees, for a house building advance for the purchase of a built up house or flat or for building a house or flat to be constructed by the Co-operative Group Housing Society of which he is a member, or, for the purchase of a motor car, or for both, with the provision of below the age of sixty years for second time advance and with the provision for House Building Advance for third time below the age of sixty years.

During the recent past, various members have individually and collectively approached the Hon'ble Speaker and stated that:

- (i) the existing provision of below the age of sixty years for availing a second time advance for both (i.e. house building and for the purchase of a motor car) and a third time House Building Advance, impose an undue restriction on members for drawing such repayable advances;
- (ii) a provision may also be made for an additional amount of ten lakh rupees, in addition to one crore rupees, for effecting major repairs, additions or alterations to the house of a member;
- (iii) under the present provisions of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979:
 - (a) a member may drawn repayable advance under clause (i), (ii) or (iii) for the first time, the member below the age of sixty years, may be entitled to draw repayable advance for the second time immediately after the completion of recovery of principal amount along with interest on the previous advance;
 - (b) a member shall also be entitled to draw upto a maximum of ten lakh rupees for effecting major repairs, additions or alterations to his house, if repayment of an amount equal to ten lakh rupees has already been made against the outstanding principal amount of house building advance;

and suggested that:

- (aa) the provision relating to the age of sixty years for availing the second or third time advance be removed.
- (ab) a provision be made for an additional amount of ten lakh rupees, in addition to one crore rupees, for effecting major repairs, additions or alterations to his house.

Considering the above suggestion, the Bill seeks to substitute section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

MAHIPAL DHANDA, Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 26th August, 2025. RAJIV PRASHAD, Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

Section 3 of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979, provides for the grant of House Building and Motor Car repayable advance upto rupees one crore to each member of the Haryana Legislative Assembly. It is estimated that an additional expenditure of approximately Rs. 9,00,00,000/- would be involved, if section 3 is amended to provide for an additional amount of ten lakh rupees, in addition to one crore rupees, for effecting major repairs, additions or alterations to the house of a member.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 25 एच.एल.ए.

हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025 हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा संक्षिप्त नाम। सकता है।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1979 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 3 का संशोधन।

- "3. सुविधाएं.— (1) ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, प्रत्येक सदस्य को,—
 - (i) निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम; या
 - (ii) मोटर कार खरीदने हेतु; या
 - (iii) खण्ड (i) और (ii) दोनों,

के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में एक करोड़ रूपए से अनिधक की राशि का भुगतान किया जा सकता है:

परन्तु यदि किसी सदस्य ने पहले ही एक करोड़ रूपए की राशि से कम का मोटर कार अग्रिम आहरित किया है, तो वह शेष राशि के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, केवल ऐसे गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के साथ मूलधन राशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित मोटर कार अग्रिम राशि, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, दूसरी बार के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, ऐसे गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के साथ मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित मोटर कार अग्रिम, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, केवल शेष राशि के पचास प्रतिशत की सीमा तक तीसरी बार के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य ने पहले ही एक करोड़ रूपए से कम का गृह निर्माण अग्रिम आहरित किया गया है, तो वह शेष राशि के लिए मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, केवल पहले से ही आहरित ऐसे मोटर कार अग्रिम पर ब्याज के साथ मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित गृह निर्माण अग्रिम, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, दूसरी बार मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि सदस्य, हरियाणा विधान सभा के कार्यकाल, जो पाँच वर्ष या कम की अविध का हो सकता है, में दो बार मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा।

(2) कोई सदस्य अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रूपए तक आहरण करने का भी हकदार होगाः

परन्तु दस लाख रूपए की राशि एक करोड़ रूपए के अतिरिक्त होगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अधीन, हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, एक करोड़ रुपये से अधिक न होने वाले प्रतिदेय अग्रिम का हकदार है, जोिक गृह निर्माण अग्रिम के रूप में निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम, अथवा मोटर कार की खरीद के लिए, अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। इस धारा में दूसरी बार अग्रिम लेने के लिए साठ वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान है।

हाल के दिनों में, विभिन्न सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से माननीय अध्यक्ष से संपर्क किया और कहा है कि:-

- (i) दूसरी बार अग्रिम (अर्थात् गृह निर्माण अथवा मोटर कार के लिए) तथा तीसरी बार गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने हेत् साठ वर्ष से कम आयु का वर्तमान प्रावधान सदस्यों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है;
- (ii) एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त, सदस्यों के गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए, दस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया जाए;
- (iii) हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधाएं) अधिनियम, 1979 की वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गतः
 - (क) कोई सदस्य, उपधारा (i), (ii) या (iii) के अंतर्गत पहली बार अग्रिम प्राप्त करने के उपरांत, यदि उसकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन तथा ब्याज की वसूली पूर्ण होने के तुरंत बाद, दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने का हकदार है;
 - (ख) कोई सदस्य, अपने गृह निर्माण अग्रिम की बकाया मूलधन राशि में से दस लाख रुपये की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है, तो वह अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रूपए तक आहरण करने का भी हकदार है;

और यह सुझाव दिया है कि:

(कक) दूसरी अथवा तीसरी बार अग्रिम लेने हेतु साठ वर्ष की आयु से संबंधित प्रावधान को समाप्त किया जाए।

(कख) एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त, दस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए, जिससे सदस्य अपने गृह की बडी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करा सके।

उपरोक्त सुझाव पर विचार करते हुए, विधेयक का उद्देश्य हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 को प्रतिस्थापित करना है।

> महीपाल ढांडा, संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

......

चण्डीगढ़ः दिनांक 26 अगस्त, 2025. राजीव प्रसाद, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 में हरियाणा विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम एक करोड़ रुपये तक गृह निर्माण एवं मोटर कार अग्रिम ऋण की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अनुमान है कि लगभग 9,00,00,000 रूपये का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित होगा, यदि धारा 3 में संशोधन कर, सदस्यों को अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए एक करोड़ रूपये के अतिरिक्त अधिकतम दस लाख रूपए तक की अग्रिम राशि का प्रावधान किया जाता है।

12071—H.V.S.—H.G.P., Pkl.